न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

ठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 01/2019

बजरंग पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम चुवास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.

प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश पुत्र शिवपाल
2. रामेश्वर पुत्र पूर्णाराम
3. विजेश पुत्र शिवपाल
4. श्रृगारी देवी पत्नी शिवपाल
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चुवास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.
5. प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा फतेहपुर
6. हल्का पटवारी पटवार हल्का बाठोद
7. तहसीलदारजी फतेहपुर जिला सीकर राज0

......अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित अधिवक्ता
श्री राजेश कुमार– वादी

निर्णय

दिनांकः– 10.04.2019

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 15 रकबा 3.48 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 9/1, खसरा नंबर 219 रकबा 0.0900 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 184/3, खसरा नंबर 342 रकबा 3.1000 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 255/2, खसरा नंबर 396 रकबा 2.1000 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 295/1, खसरा नंबर 397/437 रकबा 0.1500 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 295/1 वाके ग्राम चुवास में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी 1/3 हिस्सा भूमि भाग का काबिज खातेदार काश्तकार है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर

उक्त भूमि खसरा नंबर 15 रकबा 3.48 हैक्टयर, खसरा नंबर 219 रकबा 0.0900 हैक्टयर, खसरा नंबर 342 रकबा 3.1000 हैक्टयर, खसरा नंबर 396 रकबा 2.1000 हैक्टयर, खसरा नंबर 397/437 रकबा 0.1500 हैक्टयर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की पैत्रिक वंशानुगत कृषि भूमिया है जिसका पूर्व में खातेदार, काश्तकार, प्रार्थी का दादा पूर्णाराम था। प्रार्थी के पिता भंवरलाल का स्वर्गवास प्रार्थी के दादा के जीवनकाल में हो गया था।

प्रार्थी के दादा पूर्णाराम के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमियों में प्रार्थी के दादा की विरासत का नामन्तरकरण स्वीकृत हुआ उक्त नामान्तरकरण सं. 235 के द्वारा सहवन से प्रार्थी का नाम बजरंग पिता पूर्णाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम भंवरलाल है इसलिए प्रार्थी उक्त भूमियों की खातेदारी में बजरंग पुत्र पूर्णाराम के स्थान पर बजरंग पुत्र भवरलाल संशोधित करवाना चाहता है जिसका उन्हे पूर्ण हक अधिकार है।

प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेज व ग्राम समाज व रिस्तेदारी में प्रार्थी को बजरंग पुत्र भंवरलाल के नाम से जाना पहचाना जाता है तथा बजरंग पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी ग्राम चुवास तहसील फतेहपुर जिला सीकर नाम का कोई व्यक्ति ग्राम चुवास में न तो वर्तमान में है और ना ही कभी हुआ है।

उक्त भूमियों की खातेदारी की नकल प्राप्त करने पर प्रार्थी को पता चला कि उक्त भूमियों की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम बजरंग पुत्र पूर्णाराम गलत रूप से दर्ज होने की जानकारी मिलने पर प्रार्थी ने राजस्व अधिकारियों को अपने पिता का नाम पूर्णाराम के स्थान पर भंवरलाल संशोधित करवाने के लिए निवेदन किया परन्तु उन्होने वाद टालमटोल करीब 10 दिन से इन्कार होने पर यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम चुवास की भूमि खसरा नंबर 15 रकबा 3.48 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 9/1, खसरा नंबर 219 रकबा 0.0900 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 184/3, खसरा नंबर 342 रकबा 3.1000 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 255/2, खसरा नंबर 396 रकबा 2.1000 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 295/1, खसरा नंबर 397/437 रकबा 0.1500 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 295/1 में प्रार्थी का नाम बजरंग पुत्र पूर्णाराम के स्थान पर संशोधन कर बजरंग पुत्र भंवरलाल अंकित किये जाने की कृपा पूर्ण आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर

मिसल नोटिस की जाकर अप्रार्थीगा की तलवी जारी की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार फतेहपुर से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से प्राप्त रिपोर्ट मय पत्रावली के संलंग्न दस्तावेज वार्ड प्रार्थी की 10वीं की मार्कसीट, पेन कार्ड की प्रति, पहचान पत्र की प्रति, राशन कार्ड की प्रति पेश की। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम भंवरलाल अंकित है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चुवास की भूमि खसरा नंबर 15 रकबा 3.48 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 9/1, खसरा नंबर 219 रकबा 0.0900 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 184/3, खसरा नंबर 342 रकबा 3.1000 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 255/2, खसरा नंबर 396 रकबा 2.1000 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 295/1, खसरा नंबर 397/437 रकबा 0.1500 हैक्टयर जिसका पुराना खसरा नम्बर 295/1 में प्रार्थी बजरंग के पिता का नाम पूर्णाराम के स्थान पर बजरंग पुत्र भंवरलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार फतेहपुर को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रेखा मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर

निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official